मनीबेन पत्नी दानाभाई तुलशीबाई महेरिया

बनाम

गुजरात राज्य

मई 11, 2007

(एस.बी. सिन्हा और मार्केडी काटजू न्यायाधिपतिगण)

साक्ष्य अधिनियम 1872-धारा 32-मृत्युकालीन घोषणा- विश्सनीयता-मृतका को उसकी सास व देवर द्वारा मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया-मृत्युकालीन घोषणा के आधार पर दोषसिद्वि की वैधानिक अभिनिर्धारितः मृत्युकालीन घोषणा में कोई विसंगति नही-अभियुक्त की संलिप्ता के विषय में विशिष्ट कथन यधपि सास के द्वारा किए गए वास्तविक जाहिरा कृत्य को वर्णित नहीं किया गया- मृत्युकालीन घोषणा को इसलिए रद्व नहीं किया जा सकता कि मृत्यु घटना के 25 दिन बाद हुई-अतः दोषसिद्वि न्यायोचित।

अभियोजन पक्ष के अनुसार परिवारों के मध्य विवाद था। घटना के दिन मृतका की सास व देवर ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। मृतका ने आग बुझाने का प्रयास किया। इसी दौरान वह व्यापक रूप से जल गई। उसके रिश्तेदार व कुछ पड़ोसी उसकी मदद के लिए आए। वे उसे अस्पताल ले गये तथा उसके पति को सूचना दी। उसने चिकित्सकों को जलने का कारण बताया। मजिस्ट्रेट ने उसके मृत्यकालीन घोषणा अभिलिखित की। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विचारण न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्व किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा आदेश को पुष्ट किया। देवर के द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका खारिज की गई। अतः अपीलार्थी के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया :

1.1. अपीलार्थी और उसके पुत्र की संलिप्ता के विषय में कोई विसंगति नहीं है। अपीलार्थी द्वारा इंगित की गई एक मात्र विसंगति यह है कि मृतका के कुछ कथनों में मृतका ने अपीलार्थी द्वारा किए गए वास्तविक जाहिरा कृत्य को नहीं बताया। अपने कथनों में मृतका ने मात्र विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उसके समक्ष रखे गये प्रश्नों का उत्तर दिया। जब प्रश्न भिन्न प्रकार से पूछे जाते है, तो उनका उत्तर भी भिन्न प्रतीत होगें। प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि अपराध के विशिष्ट विवरण उपलब्ध नहीं, परन्तु मृतका के कथनों को युक्तियुक्त रूप से विवेचित किया जाना चाहिए। सुसंगत समय पर अपीलार्थी की घर पर उपस्थिति विवादित नहीं है तथा अपीलार्थी के पुत्र की संलिप्तता भी विवादित नहीं है। समाचार प्राप्त होते ही मृतका के पति का अस्पताल पहुँच जाने का यह तात्पर्य नहीं है कि मृतका को उसके पति द्वारा सिखाया गया था। कटु संबंधों के बावजूद एक पुत्र अपनी माता को मिथ्या आलिप्त नहीं करेगा। अपीलार्थी उसके पुत्र तथा मृतका व उसके पति के मध्य उत्पन्न कटु संबंधों का तथ्य, घटना के कारणों को परीलक्षित करता है। (पैरा11)(413-एफ-एच (414-ए-बी)

1.2. बचाव पक्ष का मामला कि मृतका के द्वारा आत्महत्या की गई थी, को अविश्वसनीय माना गया क्योंकि तत्समय मृतका गर्भवती थी तथा उसके ढाई वर्षीय पुत्री थी। मृतका का इस कथन पर कि वह भूतल पर शौचालय के उपयोग के लिए गई थी, जो कि शामलाती था एवं इसके पश्चात वह ऊपर आ रही थी, मृतका के शरीर पर आई चोटों के दृष्टिगत अविश्वास नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी द्वारा भी यह जाहिर किया कि मृतका जमीन पर गिर गई होगी तथा मिट्टी का तेल उसके शरीर के सामने के भाग पर गिर गया होगा। इसके अतिरिक्त यदि अपीलार्थी ने अपराध के गठन में भाग नहीं लिया होता, तो वह शोर मचाने या तुरन्त दूसरी बहुओं व पड़ोसियों को बुलाने वाली पहली व्यक्ति होती। घटना के तुरन्त पश्चात अपीलार्थी घर पर नहीं पायी गयी।

दोनों अभियुक्तगण को पश्चातवर्ती प्रक्रम पर गिरफ्तार किया गया।

(पैरा 12 और 13) (414-बी-ई)

1.3. इस तथ्य पर अत्यधिक बल दिया गया कि चिकित्सक जिसने अस्पताल में मृतका के कथन अभिलिखित किए थे, को परीक्षित नहीं कराया गया। वह चिकित्सक जिसने मृतका का इलाज किया, को परीक्षित कराया गया है एवं उसके द्वारा घटना के संदर्भ में अभियोजन मामले की पुष्टि की है। उसके द्वारा मृतका के बयान अवश्य ही नहीं लिखे गये परन्तु यह स्वाभाविक है कि उसने मृतका से जलने का कारण पूछा होगा। यह तर्क कि चिकित्सक जिसने अस्पताल में मृतका के बयान लिए थे, ने बर्न की डिग्री का खुलासा नहीं किया, तात्विक नहीं है। चोटें कारित करने में मिट्टी के तेल का प्रयोग के स्वीकृत तथ्य एवं चोटों की प्रकृति को देखते हुए चोटें थर्ड डिग्री की मानी जावेगी।

(पैरा 14)(414-ई-एफ)

1.4. मृत्युकालीन घोषणा को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि मृत्यु घटना के 25 दिन बाद हुई। 25 वर्षीय युवती के बहुमूल्य जीवन को बचाने के सभी प्रयास किए जाएंगे। चिकित्सकों ने सर्वोत्तम प्रयास किए होंगे। मृत्युकालीन घोषणा जो कि मृत्यु की प्रत्याशा में अभिलिखित की गई, को मृत्यु कुछ दिनों के पश्चात होने के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। उपरोक्त उद्वेश्य के लिए यह आवश्यक है कि कथन उस व्यक्ति द्वारा किए गए हो, जो मिल नहीं रहा हो, या मर गया हो, तथा साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया हो। मृतक का कथन सुसंगत तथ्य है।

(पैरा 18) (415-सी-डी-)

न्यायिक दृष्टांत नजम फरागी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए.आई.आर. (1998) एस.सी. 682, बी0 शशिकला बनाम आंध्रप्रदेश राज्य ए.आई.आर. (2004) एस.सी. 1610, उका राम बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. (2001) एस सी 1814, श्रीमती

पानीबेन बनाम गुजरात राज्य, ए.आई.आर. (1992) एस सी 1817, मोहन लाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2007) 3 स्केल 283 और रवि कुमार उपनाम कुट्टी रवि बनाम तमिलनाडू राज्य (2006) 9 एस सी सी 240 का अवलम्बन लिया।

'द ऑर्डर ऑफ थिंग्स द्वारा बारबरा एन किफर य प्रिंसिपल एण्ड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल ज्यूरिसप्रडेंस द्वारा टेलर पृष्ठ संख्या 250 संदर्भित।

दांडिक अपील क्षेत्राधिकारः दांडिक अपील संख्याः- 618/2006

उच्च न्यायालय, गुजरात स्थित अहमदाबाद के द्वारा से दांडिक अपील संख्याः- 359/2004 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 20.04.2005 से

एच.ए. रायचुरा व सरोज रायचुरा, अपीलार्थी की ओर से।

हेमंतिका वाही व पिंकी बेहरा, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, न्यायाधिपति द्वारा दिया गयाः-

1. अपीलार्थी मृतका की सास है। वे एक ही परिसर में रिहायश करते थे। मृतका व उसके पति दिनेश भाई प्रथम मंजिल पर काबिज थे तथा अपीलार्थीगण भूतल पर काबिज थे। भूतल पर एक शामलाती शौचालय था। मकान के प्रथम मंजिल पर जाने का रास्ता भूतल से होकर जाता था।

2. परिवारों के बीच में विधुत उपभोग के शुल्क के संदर्भ में विवाद था। पक्षकारों के मध्य के विवाद के कारण अपीलार्थी ने अपने पुत्र दिनेश भाई के विरूद्व एक शिकायत भी दर्ज करवायी थी जिसमे अपीलार्थी के पुत्र की गिरफ्तारी हुई थी। संदर्भित समय पर मृतका गर्भवती थी। दिनांक 31.07.2002 को समय लगभग 10.15 ए0एम0 पर जब दिनेश भाई अपने कार्यालय में था एवं उसकी पुत्री डौली सो रही थी, मृतका भूतल पर

शौचालय के उपयोग के लिए आई।

3. मृतका प्रथम मंजिल पर जाने के लिए सीढ़िया चढ़ने वाली थी उसी समय गिरीश भाई अभियुक्त संख्या 01 ने पीछे से मृतका के बाल पकड़ लिए एवं बलपूर्वक फर्श की ओर धकेल कर उसके शरीर पर मिट्टी का तेल (केरोसिन) डाल दिया तथा अपीलार्थी ने माचिस की तीली जलायी। इसके पश्चात दोनों अभियुक्तगण मकान से बाहर चले गए। मृतका ने बाल्टी से अपने शरीर पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। इसी दौरान मृतका के शरीर पर जलने के कारण व्यापक चोटें कारित हुई। वह मदद के लिए चिल्लाई जिस पर उसके बड़े देवरों की पत्नियां पुष्पाबेन व गीताबेन, कुछ पड़ोसियों के साथ मौके पर आ गई। वे मृतका को अस्पताल ले गए तथा उसके पति को सूचित किया। मृतका ने चिकित्सक के समक्ष जलने के कारण प्रकट किए। मृतका की गंभीर स्थिति के दृष्टिगत उसे अहमदाबाद स्थित सिविल अस्पताल को रेफर किया गया। मृतका को तुरन्त अहमदाबाद ले जाया गया एवं वी.एस. अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती किया गया।

4. पी. एस. आई. श्री एन. जे. गोहिल ने मृतका के कथन अभिलिखित किए उसके द्वारा पुनः घटना के कुछ विवरण बताए गए। उसकी मृत्यु कालीन घोषणा कार्यपालक मजिस्ट्रेट मैट्रो क्षेत्र न्यायालय के द्वारा अपरान्ह में लगभग 8.30 बजे अभिलिखित की गयी। मृतका के द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए जिसके सुसंगत भाग निम्नलिखित हैः-

> "10. घटना के तथ्य -- हम ऊपरी हिस्से में निवास करते है। हमारी सास व देवर ऊपरी हिस्से में रिहायश से मना करते है। शौचालय बाहर की ओर स्थित है। मेरे देवर ने मकान में ऊपर व नीचे जाने वाली खिड़की को बंद कर दिया तथा मेरे देवर जिसका नाम गिरीश है, ने मुझ पर मिट्टी का तेल डाल कर और

मेरी सास ने माचिस की तीली जलाकर मुझे जला दिया।''

5. मृतका के द्वारा वी. एस. अस्पताल अहमदाबाद के बर्न वार्ड में भर्ती के समय चिकित्सकों के समक्ष भी समान कथन किए गए।

6. दोनों अभियुक्तगण को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्व घोषित किया गया। अभियुक्तगण के द्वारा प्रस्तुत अपील को प्रश्नगत निर्णय के द्वारा खारिज किया गया।

7. दोनों अभियुक्तण द्वारा विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की गई। अभियुक्त गिरीश भाई द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई।

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एच.ए. रायचुरा ने अपील के समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किएः-

(I) मृतका की तथाकथित मृत्युकालीन घोषणाओं में किए गए कथनों में विसंगतियां होने के कारण मृत्युकालीन घोषणा दोषसिद्वि का एक मात्र आधार नहीं हो सकती। कुछ मृत्युकालीन घोषणाओं में मृतका ने अपीलार्थी की घटना में विशिष्ट भूमिका भी वर्णित नहीं की है।

(ii) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के 25 दिन बाद मृत्यु होने के कारण मृतका की मृत्युकालीन घोषणा को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

(iii) जैसा कि अभिलेख से प्रकट होता है कि मृत्यु कालीन घोषणाओं के समय मृतका का पति वहां मौजूद था अतः मृतका को सिखाया गया होगा।

9. राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक सुश्री हेमन्तिका वाही की ओर से यह निवेदन किया गया है कि मृतका ने अपनी सभी मृत्युकालीन घोषणाओं

में अपीलार्थी के साथ उसके पुत्र गिरीश भाई की घटना में संलिप्तता के संदर्भ में विशिष्ट कथन किए है तथा ये सभी मृत्युकालीन घोषणाऐं समरूप प्रकृति की है। अतः प्रश्नगत निर्णय में कोई त्रटि नहीं है।

10. मृतका के शरीर का 85% हिस्सा जल गया था जिनका विवरण डॉ. विपुल के कथनानुसार निम्नलिखित हैः-

"कोकिलाबेन के सिर व गर्दन का हिस्सा 4% जला हुआ था। दाहिने कंधे से अंगूली तक 9% जला हुआ था। बांये कंधे से बांये हाथ की अंगूली तक 5% जला हुआ था। छाती के सामने की ओर 6% जला हुआ था। छाती के पीछे की ओर 9% जला हुआ था। दाहिना पैर 15% जला हुआ था। बांया पैर 18% जला हुआ था। गुप्तांग 1% जले हुए थे। इस प्रकार कुल 85% जला हुआ था। बर्न ऊपर की ओर से गहराई तक था...."

11. फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट प्रदर्श 73 से यह स्पष्ट है कि जलने की चोटें मिट्टी के तेल से कारित हुई। यह सत्य हो सकता है कि मृतका ने उसके शरीर पर कारित चोटों के संदर्भ में डॉ. आशीष के समक्ष सुबह लगभग 12.45 बजे अपना बयान दिया परन्तु उसके द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष भी बयान दिया गया। स्वीकृत रूप से अपीलार्थी व उसके पुत्र गिरीश भाई के घटना में संलिप्तता के संदर्भ में कोई विसंगति नहीं है। श्री रायचुरा के द्वारा इंगित की गई एक मात्र विसंगति यह है कि मृतका ने अपने कुछ बयानों में अपीलार्थी के द्वारा किए गए वास्तविक जाहिरा कृत्य को वर्णित नहीं किया है। इन बयानों में मृतका के द्वारा उसके समक्ष विभिन्न व्यक्तियों द्वारा रखे गये प्रश्नों का उत्तर मात्र दिया गया है। जब प्रश्न भिन्न तरीकों से प्रस्तुत किए जाने है तो उनके उत्तर भी भिन्न प्रकट होगें। प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रकट हो सकता है कि अपराध के विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु हमारे मतानुसार मृतका के कथनों को

युक्तियुक्त रूप से विवेचित किया जाना चाहिए। यह निर्विवादित है कि मृतका के द्वारा अपने बयान में दोनों अभियुक्तगण को संलिप्त किया गया है। मृतका के पति के द्वारा समाचार प्राप्त होने के पश्चात शीघ्र अस्पताल पहुॅचने का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि मृतका को उसके पति के द्वारा सिखाया गया था। कटु संबंधों के बावजूद एक पुत्र अपनी माता को मिथ्या आलिप्त नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त घटना के कारणों के संदर्भ में पहले कथन में देवर व अपीलार्थी को उत्तरदायी ठहराया गया। ऐसी स्थिति में मृतका को उसके पति द्वारा सिखाया जाना असंभव है। मृतका एक पढ़ी लिखी महिला थी। मृतका के द्वारा स्नातक द्वितीय वर्ष की पढ़ाई की गई थी। अपीलार्थी व उसके पुत्र के मृतका व उसके पति से कटृ संबंध थे, जो यह दर्शित करता है कि घटना किस कारण घटित हुई। अपीलार्थी की सुसंगत समय पर घर पर उपस्थिति विवादित नहीं है। गिरीश भाई की घटना में संलिप्तता भी विवादित नहीं है।

12. अपीलार्थी की ओर से यह प्रतिरक्षा प्रस्तुत की गयी कि मृतका के द्वारा आत्महत्या कारित की गयी है। प्रतिरक्षा का मामला इस बिन्दु पर उचित कारणों से अविश्वसनीय माना गया क्योंकि तत्समय मृतका गर्भवती थी तथा मृतका की ढाई वर्षीय पुत्री थी। मृतका की पुत्री प्रथम मंजिल पर सो रही थी। निर्विविवाद रूप से शौचालय भूतल पर था, जो शामलाती था। मृतका के शरीर पर आई चोटों के दृष्टिगत मृतका के इस कथन पर कि घटना के समय वह शौचालय के उपयोग हेतु आयी थी एवं सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। श्री रायचुरा के द्वारा भी यह जाहिर किया गया है कि मृतका फर्श पर गिर गई होगी तथा मिट्टी का तेल मृतका के शरीर के सामने वाले हिस्से पर गिर गया होगा।

13. घटना के तुरन्त बाद मृतका ने शोर मचाया। अन्य रिश्तेदार तुरन्त मौके पर आए और उसे अस्पताल ले जाया गया व उसके पति को सूचित किया गया। यदि

अपीलार्थी ने अपराध के गठन में भूमिका नहीं निभाई होती, तो वह शोर मचाने या अपनी दूसरी बहुओं को व पड़ोसियों को बुलाने वाली पहली व्यक्ति होती। घटना के तुरन्त बाद अपीलार्थी घर पर नहीं पायी गयी। दोनों अभियुक्तगण को पश्चातवर्ती प्रक्रम पर गिरफ्तार किया गया।

14. अपीलार्थी की ओर से इस बिन्दु पर अत्यधिक बल दिया गया कि डॉ. दीप्ति जिसके द्वारा अहमदाबाद स्थित अस्पताल में मृतका के कथन अभिलिखित किए गए, को परीक्षित नहीं करवाया है। यधपि डॉ. नितिन जिसने मृतका का इलाज किया, को परीक्षित कराया गया है एवं डॉ. नितिन के द्वारा घटना के संदर्भ में अभियोजन मामले की पुष्टि की गई है। डॉ.नितिन के द्वारा मृतका के कथन अभिलिखित नहीं किए गए है परन्तु यह स्वाभाविक है कि उसके द्वारा मृतका से जलने के कारण के विषय में पूछा गया होगा।

15. श्री रायचुरा का यह तर्क कि डॉ. आशीष के द्वारा डिग्री ऑफ बर्न को स्पष्ट नहीं किया गया, हमारी राय में तात्विक नहीं है।

16. श्री बारबरा एन किफर द्वारा 'द ऑर्डर ऑफ थिंग्स में जलने की चोटों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है:-

प्रथम डिग्री (जो एपिडर्मिस को प्रभावित करती है जैसे कि सनबर्न व भाप से से)द्वितीय डिग्री (डर्मिस को प्रभावित करती है जैसे कि खोलते पानी, गर्म धातु को पकड़ने से)

तृतीय डिग्री (त्वचा की सभी परते नष्ट जैसे अग्नि से जलने से।)

17. टेलर की 'प्रिंसिपल एण्ड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल ज्यूरिसप्रडेंस' के पृष्ठ संख्या 250 पर यह अंकित है कि बर्न का वर्गीकरण उत्तको की भागीदारी की गहराई पर निर्भर

करता है जो कि प्रभावित शरीर की सतह से मापी जाती है। चोटें कारित करने में मिट्टी के तेल का प्रयोग किए जाने के स्वीकृत तथ्य एवं चोटों की प्रकृति के दृष्टिगत चोटें विल्सन के द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार थर्ड डिग्री की मानी जावेगी।

18. घटना के 25 दिन के बाद मृत्यु होने के आधार पर मृत्युकालीन घोषणा को अमान्य नहीं माना जा सकता। 25 वर्षीय युवती के बहुमूल्य जीवन को बचाने के सभी प्रयास किए जायेंगे। चिकित्सकों के द्वारा सर्वोत्तम प्रयास किए गये होंगे। मृत्युकालीन घोषणा को, जो कि मृत्यु की प्रत्याशा में अभिलिखित की गयी, को मृत्यु कुछ दिनों के बाद होने के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। उक्त उद्वेश्य के लिए अन्य बातों के साथ यह आवश्यक है कि कथन ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए है जो मिल नहीं सकता हो या जो मर गया हो एवं इस कारण साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया हो।

न्यायिक दृष्टांत नजम फरागी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए.आई. आर. (1998) एस सी 682, बी0 शशिकला बनाम आंध्रप्रदेश राज्य ए.आई. आर. (2004) एस सी 1610, उका राम बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई. आर. (2001) एस सी 1814, श्रीमती पानीबेन बनाम गुजरात राज्य, ए.आई. आर. (1992) एस सी 1817, मोहन लाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2007) 3 स्केल 283 में मृतक के कथनों को सुसंगत तथ्य माना गया है।

19. श्री रायचुरा के द्वारा न्यायिक दृष्टांत रवि कुमार उपनाम कुट्टी रवि बनाम तमिलनाडू राज्य (2006) 9 एस सी सी 240 का अवलम्बन लिया जिसमें इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि:-

“5. साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 सुनी सुनाई साक्ष्य के विरूद्व सामान्य नियम का एक अपवाद है। धारा 32 की उपधारा (1) मृतक के कथनों को ग्राहय बनाता

है जिसे सामान्यतः मुत्यु कालीन घोषणा के रूप में वर्णित किया जाता है। मृत्यु कालीन घोषणा का अनिवार्य रूप से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा उसके मृत्यु के कारणों या संव्यवहार की परिस्थितियों जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, के संदर्भ में किए गए कथनों से है। मृत्युकालीन घोषणा की ग्राह्यता इस सिद्वान्त पर आधारित है कि आने वाली मृत्यु की सोच किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में वही भाव पैदा करती है जो शपथ के अधीन किसी ईमानदार व गुणी व्यक्ति की होती है। मुत्युकालीन घोषणा इस बिन्दु पर गौर करने के पश्चात ग्राह्य है कि घोषणाकर्ता के द्वारा ऐसा कथन ऐसी चरमसीमा पर किया गया है जबकि घोषणाकर्ता मृत्यु के समीप है एवं उसकी दुनिया में सभी उम्मीद समाप्त हो चुकी है तथा मिथ्या कथन करने का हर उद्वेश्य खामोश हो चुका है तथा मस्तिष्क सत्य बोलने के शक्तिशाली विचारों से उत्प्रेरित है। इसके बावजूद भी सत्यता को प्रभावित करने वाली कई परिस्थितियों के अस्तित्व के कारण इस प्रकार की साक्ष्य को महत्व दिए जाने हेतु सावधानी व सतर्कता बरती जानी चाहिए। न्यायालय को सदैव यह देखने के लिए तत्पर होना है कि मृत्युकालीन घोषणा किसी के सिखाने या उकसाने अथवा किसी परिकल्पना का उत्पाद नहीं है। न्यायालय को यह भी देखना व सुनिश्चित करना है कि मृतक मस्तिष्क की उपयुक्त स्थिति में था तथा उसे हमलावर अपराधी को देखने व पहचाने का अवसर प्राप्त था। इसलिए सामान्यतः न्यायालय को यह समाधान करने हेतु कि मृतक मृत्युकालीन घोषणा करने के लिए उपयुक्त मानसिक स्थिति में था, चिकित्सीय राय को दृष्टिगत करना चाहिए। यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि घोषणा सत्य एवं स्वेच्छया की गई थी, तो निसंदेह न्यायालय बिना किसी पुष्टिकारक साक्ष्य के मृत्युकालीन घोषणा के आधार पर दोषसिद्वि कर सकता है। इस बिन्दु को विधि के सुस्थापित सिद्वान्त के रूप में प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है कि मृत्युकालीन घोषणा बिना पुष्टिकारक साक्ष्य दोषसिद्वि का एक मात्र आधार नहीं हो सकता। पुष्टिकरण की आवश्यकता का नियम मात्र विवेक का नियम है।

यह प्रकरण उपरोक्तानुसार सभी विधिक आवश्यकताओं का समाधान करता है।

20. उपरोक्त वर्णित कारणों से अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

अपील खारिज की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी मीना अग्रवाल (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।